न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, गया

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -2970/2026</u>

<u>कोंच थाना काण्ड संख्या–338/2025</u>

पीठासीन पदाधिकारी– राजेश सिंह

1.गोलू कुमार, उम्र–24 वर्ष, पिता–स्व0 उदय गिरी
2.गुंजन कुमार उर्फ गोल्डेन कुमार, उम्र–20 वर्ष, पिता–स्व0 उदय गिरी
3.छोटू कुमार, उम्र–19 वर्ष, पिता–स्व0 उदय गिरी
सभी निवासी–बैकठपुर, थाना–कोंच, जिला–गया

––––अभियुक्तगण

बनाम

बिहार सरकार ––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––अभियोजन

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता –श्री नसीम अहमद खां

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक–श्री मदन मोहन शर्मा

<u>05.08.2026</u> आवेदक /अभियुक्तगण की ओर से कोंच थाना काण्ड संख्या–338/2025 अन्तर्गत धारा–127(2),115(2),118(1),109,352,351(3),3(5) बी0एन0एस0 में प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्ष को सुना।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना कि आवेदक निर्दोष है, उन्हें झूँठे मामला में फंसाया गया है। इन्होनें कोई अपराध कारित नहीं किया है। इसके पूर्व आवेदक की ओर से कोई अन्य जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना या अन्य किसी वरीय न्यायालय में संस्थित नहीं किया है। प्राथमिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कथित घटना कपोल–कल्पित एवं मनगढन्त है। इस झूँठे वाद में हम लोगों को गिरफ्तारी की आशंका है। हम लोग समुचित बंध–पत्र देने को तैयार है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि हम लोगों को अग्रिम जमानत देने की कृपा की जाय।

विद्वान अपर लोक अभियोजक उपस्थित हुए। उनका कहना है कि अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत नहीं दी जाय, क्योंकि इन लोगों ने अजमानतीय अपराध कारित किया है।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण पर आरोप है कि इन लोगों ने अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका का पुत्र रंजीत गिरी दिनांक–15.05.2025 को समय 8

न्यायालय – जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, गया

<u>अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -2970/2026</u>

बजे रात्रि शौच के लिये बाधार में जा रहा था तभी इन लोगों ने सूचिका के पुत्र को घेर लिया और उसके आंख में मारा, जब सूचिका के पति बचाने गये तो उन्हें भी अभियुक्तों ने मारकर घायल कर दिया। जख्म प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि रंजीत गिरी को कारित उपहति साधारण प्रकृति की है। चाकू से कोई उपहति कारित नहीं की गयी है। इसलिये अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने में पश्चात इनके अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार इस आदेश प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अभियुक्तगण द्वारा निम्न न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर उन्हें 10,000/–रुपये के दो समान राशि के जमानतदारों द्वारा बंध–पत्र दाखिल करने पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 का अनुपालन करने पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने आदेश दिया जाता है।

लेखापित
Sd/-
राजेश सिंह
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश– II,
गया